पत्रांक 206 / आयु0क0उत्तरा0 / धारा–57–अनुभाग / वाणि0कर / 2015–16 / देहरादून ।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57 अनुभाग)
देहरादूनः दिनांक : 03 जून, 2015

प्रार्थना पत्र संख्या –
द्वारा – प्रान्तीय डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड।
उपस्थिति – श्री सुभाष कोहली, अध्यक्ष, प्रान्तीय डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन।
निर्णय का दिनांक – 03 जून, 2015

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

श्री सुभाष कोहली, अध्यक्ष प्रान्तीय डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ऋषिकेश द्वारा धारा–57 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में पोटेटो चिप्स व कैचअप एण्ड सॉस की करदेयता स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया है।

धारा–57 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु श्री सुभाष कोहली उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 96 / 2005 / 181(120) / XXVII(8) / 08 दिनांक 20.01.2015 द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची II(ख) की प्रविष्टि संख्या–6 को संशोधित करते हुए उक्त अनुसूची से विभिन्न वस्तुओं को बाहर किया गया है जिससे उन वस्तुओं पर कर की देयता 13.5 प्रतिशत हो गयी है। जिसके परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा सन्दर्भित वस्तुओं पर 13.5 प्रतिशत कर जमा करने सम्बन्धी मत व्यक्त किया गया है, जबकि सम्बन्धित कम्पनियों एवं डीलर्स द्वारा दिनांक 20.01.2015 के पश्चात उन्हें विक्रय किये गये उक्त माल पर 5 प्रतिशत की दर से ही कर चार्ज किया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि पैप्सीको कम्पनी द्वारा अंकल चिप्स के बारे में यह उल्लेख किया गया है कि 20.01.2015 के संशोधन के फलस्वरूप अंकल चिप्स अनुसूची II(ख) की प्रविष्टि संख्या–6 से अवश्य बाहर हो गये हैं, किन्तु यह वर्तमान में भी प्रविष्टि संख्या 109 के अन्तर्गत नमकीन से अच्छादित माने जाएंगे एवं इस प्रकार इन पर 5 प्रतिशत की दर से कर देय होगा।

उक्त कर की दरों के विवाद के कारण उनके द्वारा कर की दर स्पष्ट करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। व्यापारी द्वारा पोटेटो चिप्स, कैचअप व सॉस की करदेयता स्पष्ट करने के सम्बन्ध में निवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.01.2015 से पूर्व प्रविष्टि संख्या–6 निम्न प्रकार थी– "सभी प्रसंस्कृत व परिशोधित सब्जियां, शाकाहारी मशरूम तथा फल जिसमें फलों के जैम, जैली स्क्वैश, पेस्ट, फलों के पेय, फलों का रस और अचार (चाहे वह डिब्बों में हो अथवा अन्यथा) भी सम्मिलित है।"

दिनांक 20.01.2015 से प्रविष्टि संख्या–6 में संशोधन करते हुए इसे निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया गया है:– "6. सभी प्रसंस्कृत व परिशोधित सब्जियां, मशरूम तथा फल जिसमें फलों का जैम, जैली, फलों का स्क्वैश, पेस्ट, फलों का पेय, फलों का रस और अचार सम्मिलित है परन्तु जिसमें सभी प्रकार के सॉस, पोटेटो चिप्स, बनाना चिप्स तथा अन्य प्रकार के फल व सब्जियों के चिप्स सम्मिलित नहीं हैं (उक्त वस्तुएं चाहे सील्ड कन्टेनर्स में हों अथवा अन्यथा)"। उक्त संशोधित प्रविष्टि से स्पष्ट है कि सभी प्रकार के सॉस को इस प्रविष्टि से बाहर कर दिया गया है।

पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा अपने निर्णय सर्वश्री नैस्ले इंडिया लि0 बनाम उत्तराखण्ड राज्य दिनांक 23.03.2010 में निम्न मत दिया गया है:–

"All processed and preserved vegetables and fruits would also include sauce prepared and manufactured from any vegetable and fruit particularly when there is no exclusion clause given to exclude "sauce" from the ambit of entry 6."

"It is held that "tomato sauce" though not specifically included in Entry 6, yet, as the same has not been excluded either, would come within the inclusive definition of "all processed vegetables and fruits" and the same is taken to have been included in Entry 6 aforesaid."

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की अन्य किसी भी अनुसूची में ऐसी कोई अन्य प्रविष्टि नहीं है जिसमें सॉस, कैचअप को सम्मिलित माना जा सके। अतः ऐसी स्थिति में सॉस, कैचअप पर अवर्गीकृत वस्तुओं की भांति 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होगी।

दिनांक 20.01.2015 से संशोधित प्रविष्टि संख्या–6 में पोटेटो चिप्स व अन्य चिप्स को सम्मिलित नहीं किया गया है, अतः ऐसी स्थिति में पोटेटो चिप्स व अन्य चिप्स वर्तमान में प्रविष्टि संख्या–6 से आच्छादित नहीं होंगे। जहां तक पोटेटो चिप्स के नमकीन में सम्मिलित होने का तर्क है, इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा सर्वश्री श्रेया एण्टरप्राइजेज बनाम कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स उत्तराखण्ड, दिनांक 20.10.2011 को दिये गये निर्णय में पोटेटो चिप्स को Processed Vegetable मानते हुए उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची II(ख) की प्रविष्टि संख्या–6 से आच्छादित माना गया था।

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा सर्वश्री श्रेया एण्टरप्राइजेज बनाम कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स उत्तराखण्ड, के वाद में यह मत व्यक्त किया गया है:–

23. A Perusal of the aforesaid entries gives a clear indication that some of the products have been specifically excluded and, as held by the Supreme Court in Deepak Agro Solutions (supra), what is not excluded would be held to be included and, consequently, the court is If the opinion that potato chips would be covered under the processed vegetable and is covered by entry No.6 of Schedule-II (B) of the Act. The court further finds that when potato undergoes the process of slicing, frying and spicing, it does not lose the characteristics of a potato and a new product is not manufactured. It still remains a vegetable and, consequently, in our opinion, potato, potato chips is a processed vegetable.

इस प्रकार इस निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि potato के chips बनाये जाने के बाद वह Processed vegetable माना जाएगा। अतः जब chips Processed vegetable हैं, तब इनका नमकीन की श्रेणी में रखे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 96/2005/181(120)/XXVII(8)/08 दिनांक 20.01.2015 द्वारा पोटेटो चिप्स, बनाना चिप्स तथा अन्य प्रकार के फल व सब्जियों के चिप्स को अनुसूची II(ख) की प्रविष्टि संख्या–6 से हटाये जाने के पूर्व पोटेटो एवं अन्य चिप्स के नमकीन की प्रविष्टि से आच्छादित होने सम्बन्धी तर्क कभी भी प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जिसके दृष्टिगत उक्त तर्क मान्य नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय सर्वश्री अमित एग्रो इन्डस्ट्रीज लि0 बनाम कमिश्नर, सैन्ट्रल एक्साईज, गाजियाबाद (2007)15SCC148 में भुनी हुयी व नमक युक्त मूंगफली को नमकीन की श्रेणी में नहीं माना है। उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 96 दिनांक 20.01.2015 द्वारा पोटेटे चिप्स, बनाना चिप्स तथा अन्य प्रकार के फल व सब्जियों के चिप्स को अनुसूची II(ख) की प्रविष्टि संख्या–6 में विशिष्ट रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में पोटेटो चिप्स इस प्रविष्टि से आच्छादित नहीं माने जा सकते हैं एवं उक्तानुसार किसी अन्य प्रविष्टि से आच्छादित न होने के कारण इनकी बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होगी।

तदनुसार व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित करनिर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजी जाए।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 /दिनांक : उक्त :

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इंदिरानगर, देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, देहरादून/कुमॉऊ जोन, रुद्रपुर।
4– एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून।
5– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियॉ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
7– ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार/रुद्रपुर।
8– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एन.आई.सी.,सचिवालय परिसर,दे0दून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
9– संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
10– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।
11– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
12– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।
13– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
14– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।